



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 36 वर्ष 2026

कौशिक सेलाट

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: कृपा शंकर शुक्ला

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अजीत कुमार शुक्ला,
सी.एस.सी. , सर्वेश कांत शुक्ला

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

- हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री कृपा शंकर शुक्ला की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधा मोहन पांडे, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह और श्री अजीत कुमार शुक्ला, और राज्य-प्रतिवादियों के लिए स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल की दलीलें सुनीं।
- मामले के सिद्धोक्त तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत कार्यवाही में, नायब तहसीलदार ने दिनांक 24.05.2023 को अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 7.02.1997 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209-जेए के तहत विलंब क्षमादान की प्रार्थना के साथ बहाली आवेदन दायर किया। उपरोक्त विलंब क्षमादान आवेदन और बहाली आवेदन पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 3.03.2024 के आदेश द्वारा सुनवाई की और परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ प्रदान करते हुए दिनांक 24.05.2023 के आदेश को रद्द कर दिया। विधि के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए उत्परिवर्तन मामले को उसके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया गया। दिनांक 1.3.2024 के आदेश के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

तहत प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। उक्त पुनरीक्षण याचिका पर राजस्व बोर्ड के माननीय सदस्य द्वारा सुनवाई की गई और दिनांक 4.12.2025 के आदेश द्वारा नायब तहसीलदार के दिनांक 1.3.2024 के आदेश को निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार को विधि के अनुसार नए आदेश द्वारा बहाली आवेदन और विलंब क्षमा आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। अतः, निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:-

"I. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 04.12.2025 को पारित किए गए विवादित

आदेश (अनुलग्नक संख्या 11) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट,

आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

II. प्रतिवादियों को उक्त भूमि की बिक्री और खरीद के लिए तृतीय पक्ष रिट उत्पन्न

न करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी

किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 7.2.1997 की अपंजीकृत वसीयत के आधार पर वर्ष 2022 में दायर की गई उत्परिवर्तन याचिका को अवैध और मनमाने ढंग से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक के स्थान पर याचिकाकर्ता का नाम विधिवत रूप से दर्ज करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा विलंब क्षमादान की प्रार्थना सहित बहाली याचिका दायर करने पर, नायब तहसीलदार ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ देते हुए उत्परिवर्तन कार्यवाही को नए सिरे से निर्णय के लिए उसके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजस्व बोर्ड के समक्ष सीधी पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी और उत्परिवर्तन मामले को उसके मूल क्रमांक पर बहाल करने के आदेश को अवैध और मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाए और नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 1.3.2024 को पारित आदेश को बहाल किया जाए ताकि उत्परिवर्तन कार्यवाही पर विधि के अनुसार योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्व बोर्ड के उस आदेश में कोई अवैधता नहीं है जिसके द्वारा बहाली आवेदन और विलंब क्षमा आवेदन को कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विलंब क्षमा के लिए कोई उचित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए राजस्व बोर्ड ने न्याय के हित में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजस्व बोर्ड ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय **2016 आरडी 501 सुकुमार मित्रा बनाम श्रीमती कवित गुनामी** मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखा है, इसलिए इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

6. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 का नाम दर्ज करने के लिए नायब तहसीलदार द्वारा उत्परिवर्तन का आदेश पारित किया गया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर बहाली आवेदन पर, उत्परिवर्तन का आदेश वापस ले लिया गया है और उत्परिवर्तन कार्यवाही को उसके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया गया है। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में, नायब तहसीलदार का दिनांक 1.3.2024 का आदेश रद्द कर दिया गया है और नायब तहसीलदार को बहाली आवेदन के साथ-साथ विलंब क्षमा आवेदन पर उचित ढंग से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

7. राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश का अवलोकन विचारणीय होगा, जो निम्नानुसार है:-

"उक्त प्रतिपदात सिद्धांत के पूर्व न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में प्रतिपक्षीगण को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिए जाने से पूर्व यह उल्लेख नहीं किया है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का जो कारण दर्शाया गया है वह पर्याप्त एवं संतोषजनक है। विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि विलम्ब के बिंदु पर बिना विधि अनुसार विचार किये हुए न्यायालय को वाद के गुण-दोष पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है। उपरोक्त के अतिरिक्त नामांतरण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2023 में यह उल्लेख किया गया है कि नामांतरण वाद में गज़ट/रजिस्ट्री जारी की गई परन्तु अवर न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आदेश में उक्त तथ्य के सम्बन्ध में कोई भी विवेचना नहीं की है। उपरोक्त के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा प्रगत आदेश से प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना इटीपूर्ण प्रतीत होता है। न्यायहित में प्रकरण को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर उपरोक्त विवेचना के आलोक में पुनः सुनवाई किये जाने हेतु न्याय संगत प्रतीत होता है। निगरानी में बत प्रतीत होता है निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाती है नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 निरस्त किया जाता है। नायब तहसीलदार उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मियाद प्रार्थना पत्र एवं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का निस्तारण मुखर आदेश से करेंगे। राजस्व अभिलेखों में पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।

अवर न्यायालय के अभिलेख वापस भेजे जाएँ इस वाद में यदि कोई स्थगन आदेश हो तो निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय)

आई0ए0एस00

सदस्य (न्यायिक)"

8. राजस्व बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह सिद्ध होता है कि विलंब की माफी के लिए आवेदन पर उचित निर्णय दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा नए सिरे से दायर किए गए समय-बाधित बहाली आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को नायब तहसीलदार के समक्ष वापस भेजने में कोई अवैधता नहीं है।

9. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3/नायब तहसीलदार, कसवर राजा, राजा तालाब, वाराणसी, राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 4.12.2025 के आदेश के तहत दिए गए निर्देशानुसार, बहाली आवेदन और विलंब क्षमा मामले पर यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, नए सिरे से निर्णय लें।

18 फरवरी, 2026

सी.प्रकाश

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)